Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 14-12-2005

Participants : Pateriya Smt. Neeta

>

Title : Regarding need to amend guidelines issued by Twelfth Finance Commission with a view to provide permanent infrastructre in villages.

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने 12वें वित्त आयोग में जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों में राशि आबंटित करने का प्रावधान रखा है, उससे उस ग्राम में विकास होना असंभव है और उस राशि से गांव में स्थायी परिसम्पत्ति का निर्माण भी असंभव है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जो राशि दी जायेगी वह 15000 रूपये से लेकर 40,000 रूपये तक ही आबंटित होगी, जिससे उस ग्राम में कोई स्थायी विकास नहीं हो पायेगा। केन्द्र सरकार दिशा निर्देश में संशोधन कर 11वें वित्त योजना की तरह राशि का ि वतरण करे तथा 5 वाे की योजना बनाकर प्रत्येक पंचायत को शामिल कर 15 प्रतिशत अंशदान को शामिल कर प्र ााथमिकता के आधार पर विकास कार्यो की सूची बनायी जाये ताकि ग्राम पंचायत में स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे सामुदायिक भवन, स्वराज भवन, नालियां इत्यादि ग्रामीण विकास के कार्य हो सकें।